भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2056
दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

कुपोषण की पहचान और प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल

2056. **प्रो. सौगत रायः**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार के पास देश में बच्चों में कुपोषण की पहचान और प्रबंधन के लिए कोई प्रोटोकॉल है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि पांच वर्ष से कम आयु के 32 प्रतिशत से अधिक बच्चों का वजन सामान्य से कम है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) देश में बच्चों की न्यूनतम मजदूरी और अन्य मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड.): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने और उसका इलाज करने तथा इससे जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है। समुदाय-आधारित दृष्टिकोण में समुदाय में गंभीर तीव्र कुपोषण वाले बच्चों का समय पर पता लगाना और उनकी जांच करना, बिना किसी चिकित्सा जटिलता वाले बच्चों के लिए घर पर ही पौष्टिक, स्थानीय खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना और सहायक चिकित्सा देखभाल के प्रदान शामिल है। जिन कुपोषित बच्चों में चिकित्सा जटिलताएं हैं, उन्हें सुविधा-आधारित देखरेख के लिए भेजा जाता है।

मिशन पोषण 2.0 सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और पक्ष समर्थन जैसे क्रियाकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने और बेहतर स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और प्रतिरक्षा के लिए एक नई कार्यनीति लेकर आया है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनापन, एनीमिया और कम वजन की व्यापकता को कम किया जा सके।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1992-93 से संचालित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न चक्रों में भी पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाया गया

है। एनएफएचएस -1 से एनएफएचएस -5 तक बच्चों के लिए इन संकेतकों का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएफएचएस सर्वेक्षण	कमजोर बच्चों का %	अल्पवजनी बच्चों का %	ठिगने बच्चों का %
एनएफएचएस - 1 (1992-93)*	53.4	17.5	52
एनएफएचएस -2 (1998-99)**	47	15.5	45.5
एनएफएचएस -3 (2005-6)***	42.5	19.8	48.0
एनएफएचएस -4 (2015-16)***	35.8	21.0	38.4
एनएफएचएस -5 (2019-21)***	32.1	19.3	35.5

* 4 वर्ष से कम

** 3 वर्ष से कम

*** 5 वर्ष से कम

उपर्युक्त तालिका प्रासंगिक समय पर 0-3 वर्ष, 0-4 वर्ष और 0-5 वर्ष के आयु के सभी बच्चों में कुपोषण संकेतकों की तस्वीर प्रस्तुत करती है।

वर्ष 2021 के लिए भारत में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 13.75 करोड़ है (स्रोत: भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)। तथापि अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 5 वर्ष तक के केवल 7.54 करोड़ बच्चे ही आंगनवाड़ी केंद्र में नामांकित हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत हैं। इनमें से 7.31 करोड़ बच्चों की वृद्धि मापदंडों पर मापी गई। इनमें से 38.9% बच्चे ठिगने पाए गए, 17% बच्चे अल्प वजन वाले और 5.2% कमजोर पाए गए।
इसके अलावा, वर्ष 2021 के लिए भारत में 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 16.1 करोड़ है(स्रोत: भारत एवं राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)। पोषण ट्रैकर के अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 8.82 करोड़ बच्चे (0-6 वर्ष) आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं जिनमें से 8.55 करोड़ बच्चों की विकास मापदंडों पर माप की गई है। इनमें से 37% बच्चे (0-6 वर्ष) ठिगने और 17% बच्चे (0-6 वर्ष) अल्प वजन के पाए गए हैं।

एनएफएचएस आंकड़ों और पोषण ट्रैकर आंकड़ों के विश्लेषण से पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखा है।
पोषण ट्रैकर के अनुसार कुपोषित बच्चों (0-5 वर्ष) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक में है।

*****

अनुलग्नक

"कुपोषण की पहचान और प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल" के संबंध में दिनांक 6.12.2024 को प्रो. सौगत राय द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा प्रश्न संख्या 2056 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पोषण ट्रैकर से अक्टूबर 2024 के लिए देश में कुपोषित बच्चों (0-5 वर्ष) का राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

राज्य	अक्टूबर, 2024		
	ठिगने (%)	दुबले (%)	अल्प-वजन (%)
आंध्र प्रदेश	22.6	5.3	10.8
अरुणाचल प्रदेश	32.7	4.1	9.6
असम	42.4	3.8	16.3
बिहार	43.8	9.2	22.9
छत्तीसगढ़	21.5	7.0	13.1
गोवा	4.1	0.6	1.7
गुजरात	40.8	7.8	21.0
हरियाणा	28.2	4.1	8.7
हिमाचल प्रदेश	18.4	1.7	6.3
झारखंड	43.8	6.2	19.3
कर्नाटक	39.7	3.2	17.1
केरल	34.4	2.3	9.5
मध्य प्रदेश	46.5	6.9	26.5
महाराष्ट्र	47.7	4.1	16.5
मणिपुर	7.7	0.3	2.6
मेघालय	18.2	0.4	4.5
मिजोरम	26.7	2.3	5.9
नागालैंड	28.0	5.3	6.6
ओडिशा	29.1	2.9	12.8
पंजाब	18.4	3.0	5.9
राजस्थान	36.6	5.5	17.7
सिक्किम	9.2	1.5	1.7
तमिलनाडु	13.4	3.6	7.1
तेलंगाना	32.6	5.6	16.2
त्रिपुरा	40.5	6.3	16.6
उत्तर प्रदेश	48.0	3.9	19.4
उत्तराखंड	21.0	1.5	5.4
पश्चिम बंगाल	38.0	7.5	13.0
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.7	2.3	3.9
दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	35.9	3.3	16.1
दिल्ली	41.9	3.0	20.6
जम्मू एवं कश्मीर	12.1	0.7	3.0

राज्य	अक्टूबर, **2024**		
	ठिगने (%)	**दुबले (%)**	**अल्प-वजन (%)**
लद्दाख	11.0	0.2	2.0
लक्षद्वीप	46.5	11.9	25.1
पुदुचेरी	40.2	6.8	13.0
संघ राज्य क्षेत्र -चंडीगढ़	26.3	1.8	11.8

*****